पत्रांक : 5प / राज्य स्कीम–02–06 / 2024 / 05(आ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22/4/25

विषय : वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 18.04.2025 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,65,00,000.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 18.04.2025 द्वारा राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹1,65,00,000.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. **उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹1,65,00,000.00 (एक करोड़ पैंसठ लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।**

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या 16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज उपशीर्ष–0115–बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था" के "विषय शीर्ष '0115.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन' मद से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16–2515001010115 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में

CFMS के माध्यम से करते हुए परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC) के पी०एल० खाता संख्या PBBPLA030 में अंतरित करेंगे।

5. परियोजना निदेशक राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC) के सफल संचालन में उपयोग करेंगे। इस राशि से किसी कर्मी का मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–06/2024 के पृष्ठ संख्या ....33../टि० पर दिनांक 01/04/2025 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\SPRC\Letter.docx

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–06/2024/05(आ०)/पं०रा०, पटना, दिनांक 22/4/25
प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, राज्य पंचायत संसाधन संस्था (SPRC), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 06, 07 (उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषांग), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–06/2024/05(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 22/4/25
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2025-26\State Scheme\SPRC\Letter.docx